

"प्रलप-26  
(नियम 4क देखिए)



बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

**NOTARIAL**  
Medinpur  
5314

भाग - क  
मैं संजय मिश्रा **\*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी शिवकुमार शर्मा** आयु 35 वर्ष, जो 139 दरलाल्कचोपवाला (डाक का पूरा पता लिखे) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-(  
(1) मैं **स्वतंत्र** **लागूनही** हूँ। (\*<sup>2</sup>राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी

\*<sup>1</sup>एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(\*<sup>2</sup>जो लागू न हो उसे क्राट दें)

(2) मेरा नाम **134 पुकार विधान सभा (ज० पु०)** (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं**0 330** के क्रम सं**0 115** पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं**9935364454** है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) **लागूनही** है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति

क्रम सं <b>0</b>	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	संजय मिश्रा	AKZPM8939R	AY-2013-14	Rs 468403/-
2	पति या पत्नी <b>शनम मिश्रा</b>	लागूनही	लागूनही	लागूनही
3	आश्रित-1	लागूनही	लागूनही	लागूनही
4	आश्रित-2	लागूनही	लागूनही	लागूनही
5	आश्रित-3	लागूनही	लागूनही	लागूनही

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	<b>लागूनही</b>
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	<b>लागूनही</b>
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<b>लागूनही</b>
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	<b>लागूनही</b>
(इ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	<b>लागूनही</b>
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	<b>लागूनही</b>

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।  
[पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43)) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए स्थिरदोष उहसासा मर्यादा है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया मर्यादा है / नहीं दिया गया है । :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

**निम्नलिखित मामलों में मझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है**

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागूनही
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागूनही
(ग)	अधिरोपित दंड	लागूनही
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथिति	लागूनही है

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

### अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पणी 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— रकम सहित बौरे, प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं सेवामीमा	पत्रिका इनग्राहका पत्ता	आश्रित-1 कु <sup>o</sup> पत्रकामीमा	आश्रित-2 सानेत्रमीमा	आश्रित-3 x
(i)	हाथ में नकदी	₹30,000/-	₹20,000/-	लागूनही	लागूनही	लागूनही
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संरथाओं, गैर बैंककारी वित्तीय संरथाओं, गैर	₹1,000/- ₹00770/- ₹2279 ₹320/-71 ₹1-3-14	वैकल्पिक वैदेवी दस्तावेज़ उन्नत लाइन प्र०	लागूनही	लागूनही	लागूनही

	वैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम					
(iii)	कम्पनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
(vi)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	क्र.(वेगमा) पर्सपर्स 2149 लक्ष्मी पर्सपर्स पर्सपर्स	लागू नहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोनेकी 4 ऊंचाई अंगूष्ठी प्रतीकृति पार्सपर्स बिट्टे-30000/- 80,000/-	सोनेकी 4 ऊंचाई अंगूष्ठी प्रतीकृति पार्सपर्स बिट्टे-30000/- 80,000/-	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं	लागूनहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	₹440161/- ₹158161=00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

#### ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र0सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शुभमूल्य तद्धुक्तां शुभज्ञानोपुरा गायां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एक में कुल माप)	०.७४१० हेक्टर १५ मानी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	(क्रय की दशा में)	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
(iv)	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	139 द्वितीय कृष्णपुराम शाहजहानपुर	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	3600 वर्ग फुट	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	3600 वर्ग फुट	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
(v)	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	40 लाख	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)		लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	₹40 लाख	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्र०सं०	विवरण	स्वयं	मति-ग्रा पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य आलोक ₹ 5077060000 बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	बैंक/वित्तीय संस्था आलोक ₹ 5077060000 बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही

	पूर्वोत्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति				
	कोई अन्य दायित्व	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	दायित्वों का कुल योग	₹ 75979/-	लागूनही	लागूनही	लागूनही
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हैलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	आय-कर शोध्य	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	धनकर शोध्य	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	सेवाकर शोध्य	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	नगर पालिका / संपत्ति कर शोध्य	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	विक्रयकर शोध्य	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	कोई अन्य शोध्य	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं संज्ञानिका - सहायता प्राप्ति

(ख) पति या पत्नी लागूनही

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है : M.A. B.Ed. वर्ष 2013

M.A. 2009-लागूनही कालजातकली-मासिकी नोटों विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय  
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय  
शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा  
किया गया था, का ब्यौरा दें)

#### भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुण्ड संज्ञानिका				
2.	डाक का पूरा पता	139 इरड़ाल कुण्ड-पुलांग-22 दिसंबर				
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	134 पुलांग विधानसभा (30%)				
4.	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	संतान				
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागूनही				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	लागूनही				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक, प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्विष्ट अपराधों के सिवाए]	लागूनही				
7.	का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी AKZPm8939R	19-2013-14	Rs 468 403/-			
	(ख) पति या पत्नी लागूनही	लागूनही	लागूनही			
	(ग) आश्रित लागूनही	लागूनही	लागूनही			
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपरेखा में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	₹440161/₹158161/-	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
ख	स्थावर आस्तियां					
I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	₹40लाख	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	.....की	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही

संग्रह

	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	लागूनही ₹340लाख	लागूनही लागूनही	लागूनही लागूनही	लागूनही लागूनही	लागूनही लागूनही
9	दायित्व	—	—	—	—	—
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹575979/-	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नही	लागूनही	लागूनही	लागूनही	लागूनही
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : M.A. B.Ed. M-A 2009 त्रैती कालेज ट्रैती एम्प्लेजेंटी एम्प्लेजेंटी एम्प्लेजेंटी (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)					

### सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषण करता हूं कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 05-03-2014 को सत्यापित किया गया।

— Id  
Mcavigal Adw.  
5-3-14

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3 सभी स्तरों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तरंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथारिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

Sanjai Misra  
M.C. Singhvi Adw.

Mcavigal  
5-3-14